न्यायालय अंचल अधिकारी, कांके (राँची)।

विविध वाद संख्या – 14 /2021

लखीन्द्र पाहन ..... वादी

बनाम्

झारखण्ड राज्य एवं अन्य ..... प्रतिवादी

आदेश

क0 सं0	कार्यवाही के आदेश की तिथि	न्यायालय के ओदश एवं हस्ताक्षर	कार्यालय आदेश एवं दिनांक
	18/11/2021	माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P.(c) No. 1757/2021 लखीन्द्र पाहन बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में 13.07.2021 को पारित न्यायनिर्णय में सुनवाई करते हुए आदेश पारित करने का आदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया जिसके आलोक में उभय पक्षों द्वारा लिखित पक्ष समर्पित किया गया। **वादी लखीन्द्र पाहन द्वारा रखा गया पक्ष–** (क) निम्नलिखित विवरणी प्रस्तुत करते हुए वादी का यह दावा है कि उनके पूर्वजों का नाम अंतिम सर्वेक्षण समझौता (गत मे प्रकाशित) जमाबंदी खतियान मे दर्ज है जो अन्तय निर्णायक रिकॉर्ड होता है। (ख) यह भी दावा किया है कि उनके पूर्वजों एवं उनके मृत्यु के उपारांत विधिक–वारिसों ने तत्कालीन बिहार सरकार एवं विभाजनोपरान्त झारखण्ड सरकार को याचिकाकर्त्तो ने वर्ष 2020–21 तक भूमि कर अदा किया हैं। (ग) वादी ने खाता नं0 24, प्लॉट संख्या –386 कुल रकबा 1.25 एकड़ पर चल रहे बी0 आई0 टी0 मेसरा पुलिस थाना का निमार्ण कार्य रोकने का आग्रह किया है। (घ) वादी द्वारा यह भी दावा किया गया है कि वर्त्तमान में उक्त भूमि पर वादी एवं उनके पूर्वजों का दशकों से विवादित भूमि पर कब्जा है/रहा है (ड़) यह भी दावा किया है कि रैयतों को बिना किसी सूचना एवं नोटिस प्रेषण के अधिग्रहण की कार्रवाही की गई है एवं भूमि का एकीकरण करते हुए उनके भूमि का अतिक्रमण किया जा रहा है। 1. **वादी – लखीन्द्र पाहन से सम्बंधित भूमिः** लखीन्द्र पाहन द्वारा मौजा– होम्बई, खाता संख्या 24, प्लॉट संख्या 330, 349, 385, 400, 401, 415, 386, 673, 709, 710 एवं खाता संख्या 54, प्लॉट संख्या 616 कुल रकबा 5.73 एकड़ भूमि पर दावा किया गया है। अपने पक्ष में इन्होंने निम्नलिखित प्रमाण एवं विवरणी दी है: 1) खतियान की छायाप्रति 2) तीलीस नाहापाहान वो0 के नाम पर वर्ष 2020–21 खाता संख्या 24, प्लॉट संख्या 000 कुल रकबा 15.56 एकड़ की मालगुजारी रसीद की छायाप्रति दाखिल किया है।	

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी बी0आई0टी0 मेसरा के प्रतिनिधि द्वारा रखा गया पक्ष–

1. तत्कालीन बिहार सरकार ने बी0 आई0 टी0 मेसरा शिक्षण संस्था स्थापित करने हेतु मौजा मेसरा, होम्बई और रुदिया में अधिग्रहण घोषणा संख्या 9/1964-65 (281.90 एकड़) के द्वारा भूमि अधिग्रहित कर बी0आई0टी0 प्रबंधन को प्रदान की गई थी।
2. भूमि अधिग्रहण घोषणा संख्या 9/1964-65 जिसका भूमि अधिग्रहण मुकदमा मध्ये घोषणा आर0ए0एन0 1312/84-61-62 दिनांक 03.06. 1964 जो कि प्रकाशित पृष्ठ 1604 अंश II एवं प्रकाशित पृष्ठ 1083 अंश II बिहार गजट में प्रकाषित किया गया। (इसकी प्रतिलिपि प्रतिवादि–9 ने संलग्न की है।)
3. तत्कालीन बिहार सरकार के आदेश प्राप्त होने पर भू–अर्जन पदाधिकारी रांची ने भू- अर्जन वाद सं0 9/1964-65 दर्ज कर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 7 के अनुसार जमीन का मापी कर नक्सा तैयार की गई थी, (इसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्रतिवादि–9 के द्वारा संलग्न की गई है।)
4. भूमि अधिग्रहण घोषणा संख्या 9/1964-65 सरकार द्वारा जारी छानबीन के पश्चात् ही जमीन मालिकों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा राशि भुगतान किया गया। यह कि सरकार के आदेशानुसार प्रतिवादी द्वारा सरकारी कोषागार से अधिग्रहित भूमि जिसका रकबा 281.90 एकड़ के मुआवजा राशि भुगतान हेतू प्रतिवादी द्वारा 4,12,353.04 (चार चार लाख बारह हजार तीन सौ तिरपन रूपैया चार पैसा) दिनांक 27.05.1965 को प्रतिवादी द्वारा जमीन का मूल्य के रूप में राशि जमा किया। भुगतान किए गए राशि का कोषागार का चालान भी प्राप्त है (इसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्रतिवादि–9 के द्वारा संलग्न की गई है।)
5. प्रतिवादि सं0–9 ने वादि द्वारा दावा किए गए भूमि खण्डों के विरूद्ध रैयत तथा रैयत के उत्तराधिकारीगण द्वारा ली गई मुआवजों की राशि एवं प्राप्ति की तिथि का विवरण भी प्रस्तुत किया है:

खाता संख्या	खेसरा संख्या	प्राप्त राशि (रुपये में)	रैयत / उत्तराधिकारीगण	प्राप्त राशि की तिथि
24	330, 709, 710, 349, 385, 400, 401, 415	2469.17	तीरथनाथ पाहन पेषरान–श्रीनाथ पाहन व पारसना पाहन पेशरान–देवनाथ पाहन व जयप्रकाश व मनी पेशरान–राजनाथ पाहन व बिजला पाहन पेशरान–जयनाथ पाहन व देवराज पाहन पेशरान–सोमनाथ पाहन, रुपु पाहन पेशरान–शिवनाथ पाहन	23.01. 1966 02.02. 1966
24	386	1463.37	तिरथनाथ वगैरह शिकमीदार सुखलाल महतो व रुपलाल महतो पेशरान–गनशा महतो	02.02. 1966
24	673	640.32	देवराज मुण्डा पेशरान–शोमनाथ मुण्डा	22.1. 1966

Scanned with CamScanner

6. भूमि अधिग्रहण घोषणा संख्या 9/1964-65 प्रतिवादी द्वारा जमीन के मूल्य का भुगतान के पश्चात् सरकार द्वारा दिनांक 02.02.1966 को अधिग्रहित भूमि जो घोषणा संख्या वृद्धिय 1312/84-61-62 दिनांक 03.06.1964 को प्रकाशित भूमि को प्रतिवादी के पक्ष में दखल दिया गया। (प्रतिवादी–9 के द्वारा दखल प्राप्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रतिवादि–9 के द्वारा संलग्न की गई है।)
7. भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा कुल अर्जित जमीन बी0 आई0 टी0 मेसरा को कब्जा दिनांक 02.02.1966 को दे दिया गया तथा भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा बी0 आई0 टी0 मेसरा के लिए कुल अर्जित जमीन के संबंधित कागजात अंचल कार्यालय कांके को भेजा गया जिसके आधार पर अंचल पदाधिकारी कांके द्वारा बी0 आई0 टी0 मेसरा के पक्ष में शुद्धि पत्र (Correction Slip) निर्गत कर पंजी II में कुल अर्जित जमीन बी0 आई0 टी0 मेसरा के नाम पर दर्ज किया गया तथा बी0 आई0 टी0 मेसरा से मालगुजारी लेकर मालगुजारी रसीद बी0 आई0 टी0 मेसरा के पक्ष में निर्गत किया गया।
8. भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा कब्जा आवेदन के आधार पर बी0 आई0 टी0 मेसरा को कुल अर्जित जमीन दखल दिया गया जिस पर बी0 आई0 टी0 मेसरा दखलकार होकर विभिन्न प्रकार के शिक्षा हेतू शैक्षनिक भवनो इत्यादि का निर्माण कर दषकों से शैक्षनिक संस्था **चला** रहा है।
9. अधिग्रहित भूमि दखल प्राप्ति के पश्चात् प्रतिवादी अधिग्रहित भूमि पर दखल बनाए हुए है। पर प्रतिवादी का महाविद्यालय भवन, छात्रावास संख्या 05, 06, 07, 10, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, व्यायामशाला, क्रिकेट मैदान, अनुसंधान छात्रावास, महिला शिक्षक निवास, कार्यालय, कर्मचारी निवासी निवास हेलीपैड, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक, इंडस्ट्रियल इस्टेट, नवोदय विद्यालय (बी आई टी द्वारा लीज पर), किसलय विद्यालय, रुरल डिस्पेंसरी, गार्ड बैरक्स, दुरभाष कार्यालय (भारत सरकार का उपक्रम), बी आई टी थाना आउटपोस्ट, आइस फैक्ट्री, आदि बना हुआ है तथा अधिगृहित जमीन प्रतिवादी अपने जरुरत एवं सुविधा के अनुसार उपयोग कर रहे हैं।
10. अधिग्रहण के समय भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुसार संबंधित रैयतो को आपत्ति करने का उचित मौका धारा 7 एवं 12 के अर्न्तगत दिया जाता है। अतः जमीन अधिग्रहण 55 वर्ष बाद अधिग्रहण किया जमीन जिसपर शैक्षनिक संस्था चल रहा है उस जमीन पर किसी प्रकार का आपत्ति तथा दावा करने का हक एवं अधिकार किसी भी खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी को नही **होता** है।
11. बी0 आई0 टी0 मेसरा द्वारा भू–अर्जन पदाधिकारी के माध्यम से सभी रैयतों को अधिग्रहण किया गया जमीन का उचित मुआवजा का भुगतान किया गया है जिसका पूर्ण कागजात Payment Schedule में भू–अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। अतः वादी द्वारा करीब 55 वर्षो के पश्चात् यह कहना है कि मुआवजा का भुगतान नही किया गया है तथा गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया है सरासर गलत एवं अश्विसनीय है तथा इनते वर्षों के बाद किसी कानून में आपत्ति का कोई प्रावधान नही है।
12. अधिग्रहण किया गया खाली जमीन बी0 आई0 टी0 मेसरा के दखल कब्जा है जिस जमीन के कुछ अंश पर वादी द्वारा गैरकानूनी तरीके

Scanned with CamScanner

से अधिग्रहण के काफी वर्षो के बाद हाल में मकान बनाकर जमीन पर दावा करना गैरकानूनी है तथा अधिग्रहण किया गया जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बिना बी0 आई0 टी0 मेसरा के अनुमति के निर्माण करने पर कोई हक दावा जमीन पर वादी का नही बनता है।

13. अधिग्रहण किया जमीन के खाली जमीन पर वादी या किसी व्यक्ति द्वारा अधिग्रहण के वाद नाजायज तरीके से खेती करने पर कोई हक दखल, दावा अधिकार वादी का नही बनता है तथा Adverse Possession भी नही होता है।
14. अंचल कार्यालय के भूल के कारण अधिग्रहण किया गया जमीन का किसी खाता प्लॉट में अगर पंजी II में किसी का दर्ज हो गया है तथा बी0 आई0 टी0 मेसरा के अधिग्रहण किया गया जमीन को दोहरा जमाबंदी गलती से वादी या किसी व्यक्ति के नाम दर्ज है तो वह अंचल कार्यालय द्वारा स्वतः सुधार करने योग्य है। उस दोहरा जमाबंदी के आधार पर वादी या किसी व्यक्ति द्वारा अधिग्रहण किया गया जमीन पर हक दावा नही किया जा सकता है।
15. बी0 आई0 टी0 मेसरा के लिए जमीन सरकार के आदेश से भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा वर्ष 1964-65 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधान के अर्न्तगत किया गया। अतः वादी द्वारा Land Acquision Rehabilitation and Resettlement Act 2013 जो कि बी0 आई0 टी0 मेसरा के लिए जमीन अधिग्रहण करने के समय था ही नही उस Act के आधार पर वादी द्वारा दावा करना बिल्कुल ही गलत एवं गैरकानूनी है।
16. वादी के पास कोई ऐसा कागजी सबूत नही है जिससे की वादी यह प्रमाणित कर सके कि बी0 आई0 टी0 मेसरा के लिए जो जमीन अधिग्रहण किया गया वह गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानो के बाहर किया गया है।
17. यह कि वर्ष 2005 में कानुनगो, राँची समाहरणालय, भू–अर्जन शाखा द्वारा अभिलेख संख्या 9/1964-1965 में उपलब्ध अर्जन खतियान, खाता एवं खेसरा से मिलान के उपरांत जाँच प्रतिवेदन की रिपोर्ट निर्गत की गई जिसमें स्पष्ट पाया गया कि अभिलेख संख्या 9/1964-1965 द्वारा 281.90 एकड़ भूमि संस्थान के लिए अर्जित की गई। (प्रतिलिपि प्रतिवादि–9 के द्वारा संलग्न की गई है।)
18. ज्ञात हो कि बी0 आई0 टी0 मेसरा के अभिलेख वाद संख्या–09/1964-65 के द्वारा अर्जित की गई भूमि पर पूर्व में भी दिवानी मुकदमें हुए है और सभी मामलों में न्यायालय द्वारा बी0 आई0 टी0 मेसरा के पक्ष में फैसला दिया गया है जिनकी जजमेन्ट डीग्रीज की छायाप्रति प्रतिवादि–9 के द्वारा संलग्न की गई है।)

1. स्वत्व वाद सं0–190/2012 – (बी.आई.टी. मेसरा बनाम् भूनेश्वर मुण्डा उर्फ भदवा एवं अन्य)
2. स्वत्व वाद सं0–30/1989 – (बी.आई.टी मेसरा बनाम् दुल्लु महतो उर्फ दुखा महतो)
3. स्वत्व वाद सं0–33/1994 – (बी.आई.टी मेसरा बनाम् सीताराम महतो एवं कृष्णा महतो)
4. स्वत्व वाद सं0–53/1989 – (बी.आई.टी मेसरा बनाम् शरधु महतो एवं अन्य)
5. स्वत्व वाद सं0–155/1987 – (बी.आई.टी मेसरा बनाम् किश्नाथ महतो एवं भोला साहू)
6. एस0ए0आर0 वाद सं0–93/1981–82 एवं 304/1983–84 (सोहराई मुण्डा बनाम् बी.आई.टी मेसरा)
7. एस0ए0आर0 वाद सं0–291/1986–87 (सुकरा मुण्डा बनाम् बी.आई.टी मेसरा)
8. एस0ए0आर0 वाद सं0–99/1981–82 एवं 303/1983–84 (बलदेव मुण्डा बनाम् बी.आई.टी मेसरा)

Scanned with CamScanner

9. एस0ए0आर0 वाद सं0–95/1981–82 (तीजुवा मुण्डा बनाम् बी.आई.टी मेसरा)
10. L.A. Reference Case No. 48, 49, 51, 52, 56, 58 to 66, 69, 72, 73, 76, 85 to 88 and 93 of 1967

प्रतिवादी बी0आई0टी0 मेसरा के द्वारा प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजों की सूची :–

1. गजट नोटिफिकेशन
2. एक्यॅजिशन मैप
3. पेमैंट रिसीप्ट
4. पोजेशन सर्टीफिकेट
5. म्युटेशन स्लिप
6. कानुनगो प्रतिवेदन (2005)
7. लैंड एक्यॅजिशन ऑफिस प्लॉट सिडुल सर्टीफाईड कॉपी
7. जजमेंन्ट डीग्रीज
8. भेलुऐशन खतियान
9. कैश रिसीप्ट वाऊचर
10. अंचल कार्यालय प्लॉट सिडुल सर्टीफाईड कॉपी 2005

उपरोक्त तथ्यों को रखते हुए प्रतिवादि सं0–9 (बी0 आई0 टी0 मेसरा) ने दावा किया है कि वादि द्वारा अर्जित भूमि जो दावें किए हैं वह पुरी तरह से भ्रामक, निराधार एवं तथ्य विहीन है।

जिसके आलोक में भू-अर्जन के दिनांक 18.10.2021 पत्रांक 1670 (ii) से LA Case No.9/1964-65 में बी आई टी मेसरा द्वारा अर्जित की गई ग्राम होम्बई एवं ग्राम रुदिया की भूमि की विवरणी प्राप्त है। (प्रति संलग्न) **भूअर्जन कार्यालय से प्राप्त उपरोक्त पत्रांक में वर्णित विवादित भूमि से सम्बंधित विवरणी :**

खाता	प्लॉट सं0	अर्जित भूमि
24	330, 709, 710, 349, 385, 400, 401, 415, 386, 673	1) खाता 24 में भू.अर्जन वाद संख्या 9/1964 65 के द्वारा बी आई टी मेसरा को निर्गत की गई। कुल रकबा– 6.08 एकड़

राजस्व अमीन से प्राप्त विवादित भूमि का विस्तृत प्रतिवेदन निम्नवत है (प्रति संलग्न)

विषयांकित वाद से संबंधित भूमि का स्थल जाँच सर्वे नक्शा के आधार पर किया जिसका वर्त्तमान स्थिति निम्नांकित हैः–

W.P.C. No. 1757/2021 (लखीन्द्र पाहन बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) से संबंधित भूमि :–

खाता संख्या 24 एवं 54, प्लॉट संख्या 330, 709, 710, 349, 385, 400, 401, 415, 386, 673 एवं 616 कुल रकबा 5.73 एकड़ है। जिसमें प्लॉट संख्या 330 एवं 349 यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक परिसर के अन्दर स्थित है जो कि बी0 आई0 टी0 द्वारा निर्मित हैं। प्लॉट संख्या 401 के आंशिक भाग में बी0 आई0 टी0 द्वारा निर्मित हैलीपैड है, शेष भूमि परती है। प्लॉट संख्या 673 के आंशिक तथा 709 एवं 710 के पूर्ण भाग पर रेलवे लाईन का निर्माण किया हुआ है तथा प्लॉट संख्या 385, 400, 415, 386 एव 616 कि भूमि वर्त्तमान में परती है।

राजस्व कर्मचारी / अंचल निरीक्षक से प्राप्त विवादित भूमि का विस्तृत प्रतिवेदन निम्नवत हैः

जॉचोपरान्त या शिकायतकर्त्तानुसार वाद से सम्बंधित विस्तृत प्रतिवेदन निम्नवत हैः

1. वादि – लखीन्द्र पाहन से सम्बंधित भूमिः

लखीन्द्र पाहन द्वारा खाता संख्या 24, प्लॉट संख्या 330, 349, 385, 400,

Scanned with CamScanner

401, 415, 386, 673, 709, 710, खाता संख्या 54, प्लॉट संख्या 616 कुल रकबा 5.73 एकड़ भूमि पर दावा किया गया है।

खतियान की विवरणी :

मौजा– होम्बई, थाना संख्या–167, खाता संख्या –24, प्लॉट संख्या – 330, 349, 385, 400, 401, 415, 386, 673, 709, 710 कुल परिमान – 4.56 एकड़ आर0 एस0 खतियान में तीरथ नाथ पाहन वल्द जैनाथ पाहन व पारस नाथ मुण्डा, देवपाल मुण्डा वल्द हुन्चु मुण्डा व मनी वल्द बुचु पाहन व जैपरकास वल्द बुचु मुण्डा व बीगला पाहन वल्द जैनाथ पाहन व देवराज मुण्डा, सुकरा मुण्डा वल्द सोमनाथ मुण्डा व रुपु मुण्डा, मेघनाथ मुण्डा वल्द सीवनाथ मुण्डा दर्ज है

मौजा– रुदिया, थाना संख्या–167, खाता संख्या –75, प्लॉट संख्या – 616, कुल परिमान –0.09 एकड़ भूमि आर0 एस0 खतियान में वकास्त भुईहरी दर्ज है।

पंजी II की विवरणी :

मौजा– होम्बई, थाना संख्या–167, खाता संख्या– 24 प्लॉट संख्या– 330, 385, 400, 401, 673, 709, 710 कुल परिमान – 2.52 एकड़ भूमि पंजी II के भाग–1 के पृष्ठ संख्या 80 में बिरला इंस्टिटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से दर्ज है। परिवर्त्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में केष नं0 9 साल 1964–65 के अनुसार दर्ज किया गया दर्ज है।

मौजा– होम्बई, थाना संख्या–167, खाता संख्या –75 प्लॉट संख्या – 616 कुल परिमान – 0.04 एकड़ पंजी II के भाग–4 के पृष्ठ संख्या 133 में **बी. जी. रेलवे लाइन** के नाम से दर्ज है। परिवर्त्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में **भु अर्जन वा0 सं** 19 /08/09 के अनुसार दर्ज किया गया दर्ज है।

इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 850 (II) दिनांक 31.08.2021 से भू.अर्जन कार्यालय से उक्त भूमि से सम्बंधित विवरणी की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में भू-अर्जन के दिनांक 18.10.2021 पत्रांक 1670 (ii) से LA Case No.9/1964-65 में बी आई टी मेसरा द्वारा अर्जित की गई ग्राम होम्बई एवं ग्राम रुदिया की भूमि की विवरणी प्राप्त है। (प्रति संलग्न)

भू-अर्जन कार्यालय से प्राप्त उपरोक्त पत्रांक में वर्णित विवादित भूमि से सम्बंधित विवरणी :

खाता सं0	प्लॉट सं0	अर्जित भूमि
24	330, 709, 710, 349, 385, 400, 401, 415, 386, 673	1) खाता 24 में भू-अर्जन वाद संख्या 9 / 1964 65 के द्वारा बी आई टी मेसरा को निर्गत की गई। कुल रकबा– 6.08 एकड़

बी0 आई0 टी0 मेसरा के अभिलेख वाद संख्या–09/1964-65 के द्वारा अर्जित की गई भूमि पर पूर्व में भी दिवानी मुकदमें हुए है और सभी मामलों में न्यायालय द्वारा बी0 आई0 टी0 मेसरा के पक्ष में फैसला दिया गया है जिनकी Judgement Degree की छायाप्रति प्रतिवादि–9 के द्वारा संलग्न की गई है।)

1. स्वत्व वाद सं0–190 / 2012 – (बी.आई.टी. मेसरा बनाम भूनेश्वर मुण्डा उर्फ भदवा एवं अन्य)
2. स्वत्व वाद सं0–30 / 1989 – (बी.आई.टी मेसरा बनाम बुल्लु महतो उर्फ दुखा महतो)
3. स्वत्व वाद सं0–33 / 1994 – (बी.आई.टी मेसरा बनाम सीताराम महतो एवं कृष्णा महतो)
4. स्वत्व वाद सं0–53 / 1989 – (बी.आई.टी मेसरा बनाम शम्भु महतो एवं अन्य)
5. स्वत्व वाद सं0–155 / 1987 – (बी.आई.टी मेसरा बनाम किश्नाथ महतो एवं भोला साहू)
6. एस0ए0आर0 वाद सं0–93 / 1981–82 एवं 304 / 1983–84 (सोहराई मुण्डा बनाम बी.

Scanned with CamScanner

आई.टी मेसरा)

7. एस0ए0आर0 वाद सं0–291/1986–87 (सुकरा मुण्डा बनाम् बी.आई.टी मेसरा)
8. एस0ए0आर0 वाद सं0–99/1981–82 एवं 303/1983–84 (बलदेव मुण्डा बनाम् बी.आई. टी मेसरा)
9. एस0ए0आर0 वाद सं0–95/1981–82 (तीजुवा मुण्डा बनाम् बी.आई.टी मेसरा)
10. L.A. Reference Case No. 48, 49, 51, 52, 56, 58 to 66, 69, 72, 73, 76, 85 to 88 and 93 of 1967

स्थल की विवरणी :

राजस्व अमिन से जांच कराई गई। उनके द्वारा प्रतिवेदन निम्नवत है: (प्रति संलग्न)

W.P.C. No. 1757/2021 (लखीन्द्र पाहन बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य) से संबंधित भूमि :–

खाता संख्या 24 एवं 54, प्लॉट संख्या 330, 709, 710, 349, 385, 400, 401, 415, 386, 673 एवं 616 कुल रकबा 5.73 एकड़ है।
जिसमें प्लॉट संख्या 330 एवं 349 यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक परिसर के अन्दर स्थित है जो कि बी0 आई0 टी0 द्वारा निर्मित हैं। प्लॉट संख्या 401 के आंशिक भाग में बी0 आई0 टी0 द्वारा निर्मित हैलीपैड है, **शेष** भूमि परती है। प्लॉट संख्या 673 के आंशिक तथा 709 एवं 710 के पूर्ण भाग पर रेलवे लाईन का निर्माण किया हुआ है तथा प्लॉट संख्या 385, 400, 415, 386 एव 616 कि भूमि वर्त्तमान में परती है

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि बी0 आई0 टी0 मेसरा हेतु अर्जित भूमि है जो भू–अर्जन वाद संख्या–09/1964–65 में अर्जित की गई है। प्लॉट संख्या 616 यह प्लॉट न बी0 आई0 टी0 के द्वारा अर्जित किया गया है ना ही बी0 आई0 टी0 प्रबंधन इस प्लॉट पर किसी प्रकार का दावा करती है एवं पंजी II के जाँच के आलोक में यह भी पाया जाता है कि प्लॉट नं0 – 616 रकबा 0.04 भूमि एकड़ राज्य सरकार द्वारा रेलवे लाईन निर्माणार्थ अधिगृहीत की गई है। उपरोक्त के आलोक में वादी का दावा निरस्त करने की अनुशंसा राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा की गई है।

अतः भू–अर्जन कार्यालय राँची के दिनांक 18.10.2021 पत्रांक 1670 (ii) से LA Case No.9/1964-65 की अर्जित भूमि की विवरणी, राजस्व कर्मचारी, राजस्व अमीन एवं उपरोक्त भूमि में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित कई आदेशों के आलोक में वादीगण का दावा अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अंचल अधिकारी, कांके 18/11/21

अंचल अधिकारी, कांके 18/11/21

Scanned with CamScanner

न्यायालयः– अंचल अधिकारी, काँके, राँची।

नोटिस

1. श्री लखीन्द्र पाहन,
पता – होम्बई, थाना – सदर बी0आई0टी0
मेसरा, राँची।

बनाम

2. कुलपति, बी0आई0टी0 मेसरा राँची।

बजरिये इस नोटिस के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा–होम्बई अन्तर्गत माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(c) No. 1757/2021 With I.A. No. 3092/2021 द्वारा पारित आदेश के आलोक में संबंतिधत भूमि में अपना पक्ष रखने हेतु भूमि के दावा संबंधित दस्तावेज/कागजात के साथ स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 11.08.2021 को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। उक्त तिथि को आप अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए किन्तु आपके द्वारा भूमि के दावा संबंधित दस्तावेज/कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः पुनः आपको निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 18/09/21 को भूमि के दावा संबंधित दस्तावेज/कागजात के साथ स्वयं अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

इसे सख्त ताकिद जानें।

कार्यालय अंचल अधिकारी काँके, (राँची)

अंचल अधिकारी।
काँके, राँची।
2/9/21

Received
9/9/21

Raju Kumar Das
09/09/21

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.06.10 14:16:26 +05:30
Location: 192.168.29.226

Scanned with CamScanner